तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26.08.22	पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। दिनांक को 21.10.22 पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
21.10.22	अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 30.11.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
30.11.22	अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 07.12.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
07.12.22	अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 11.01.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
11.01.23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पैरोकार सरकार का जवाब शामिल पत्रावली है। बहस सुनी गयी। वकील वादी ने प्रा० पत्र 212 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया। हाल नक्शे में अंकित खसरा नम्बरान की आबादी

APP-A
Crime-I

FROM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....
.... बनाम ....
नाम मुकदमा .... नं........................सन्........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सार्थिक खण्ड से भिन्न होना बताया गया है। एवं प्रार्थी सेटलमेन्ट में पूर्व नक्शे अनुसार शत नक्शे को दुरस्त कराना चाहता है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नही होता है। जहाँ तक वादी के अधिकारों का प्रश्न है वे मुकदमे में तय किये जावेंगे। चूंकि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नही होता है इसलिए वादी को अपूर्णीय क्षति होने का भी अंदेशा नही है। अतः प्रा०पत्र 212 RT Act न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। संलग्न मुकदमा हो। (हस्ताक्षर) SDO	